न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 109/2013

उनवान

1. चतुरभुज,
2. जयहिन्द,
3. कमला,
4. अशोक कुमार पि. बोदूलाल जाति रेगर नि. ग्राम श्रीनगर, नसीराबाद

–– वादीगण :– जरिये अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार, नसीराबाद
2. अजमेर विकास प्राध्किारण, अजमेर।

प्रतिवादी :– 1 जरिये तहसीलदार नसीराबाद

2 अनुपस्थित

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 रा0 का0 अधि0 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :– दिनांक :– 14.6.24

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम श्रीनगर की निम्न आराजी वादीगण की खातेदारी काश्तकारी की है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

वंर्किग ख0न0	रकबा	हाल ख0न0	रकबा
952	0.17	1452/8992	0.17
999	0.13	1451/7749	0.13
953/6199	4.47 में से 0.16	1451/8936	4.47 में से 0.16

उक्त आराजी चौसाला जमाबंदी संवत 2024 से 2027 में साबिक खसरा नम्बर 677 के मूल खातेदार बोदूललाल पुत्र नाथूलाल कौम रेगर दर्ज है। बोदूलाल की मृत्यु हो गयी है जिसके वारिस वादीगण ही है। आराजी मुतनाजा पर आज भी वादीगण काबिज काश्त चले आ रहे है। जिसके सबूत में चौसाला जमाबंदी, वंर्किग जमाबंदी, खसरा गिरदावरी सवंत 2047 से 2050 सलंग्न है। आराजी मुतनाजा नामान्तकरण संख्या 576 दिनांक 08.01.1983 को बोदूलाल के नाम खातेदारी दर्ज की गयी। चौसाला खसरा नम्बर 677 के वंर्किग खसरा नम्बर 952, 999, 953/6199 को नियमानुसार वादीगण के नाम दर्ज कर दिया गया किन्तु उक्त आराजी के हाल खसरा नम्बर [illegible] दर्ज कर दिया गया। जिस कारण प्रतिवादी उक्त आराजी पर दखलदां[illegible] है एवं वादीगण को बेदखल करने पर आमादा है। अतः आराजी [illegible] घोषित किया जावे। प्रतिवादी को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा [illegible]

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को [illegible] नोटिस तलब किया गया [illegible]0 पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी [illegible]नाजा चौसाला खसरा न[illegible]7 रकबा 11–0–0 नामान्तकरण संख्या 576 दिनांक 08.01.83 के द्वारा बोदूलाल को गैर

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.07.03 17:29:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

खातेदारी से खातेदारी दी गयी। वंर्किग व हाल राजस्व अभिलेख में उक्त आराजी सिवायचक दर्ज हो कर अजमेर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 2 प्रकरण में अनुपस्थित रहे।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :–

1. आया वादग्रस्त आराजी का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से वादीगण खातेदारी प्राप्ति के अधिकारी है ?

—— वादीगण

2. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादीगण ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये तथा वादी जयहिन्द व बाबू के शपथ पत्र पेश किये।

राज0 पैरोकार ने कोई साक्ष्य नही पेश करा जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज0 पैराकार की बहस पर मनन किया गया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :–

तनकी संख्या 1 :–

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज अनुसार चौसाला खसरा नम्बर 677 का कुल रकबा 394–13–10 है। वादीगण के पिता को उक्त आराजी में से 11–0–0 पर नामान्तकरण संख्या 576 दिनांक 8.1.83 से खातेदारी अधिकार दिये गये। किन्तु चौसाला खसरा नम्बर 677 के कई वंर्किग खसरा नम्बर बने है। वादीगण ने समस्त वंर्किग खसरा नमबर की स्थिति स्पष्ट नही की है। वादीगण को चौसाला खसरा नम्बर 67 रकबा 394–13–10 के समस्त वंर्किग खसरा नमबर की जमाबंदी व उसके बाद उक्त वंर्किग खसरा नमबर के हाल खसरा नमबर की जमाबंदी पेश करनी चाहिये थी। जिससे स्पष्ट हो सकता है कि जो 11–0–0 भूमि वादीगण के पिता को खातेदारी दी गयी उस रकबे की वर्तमान सिथति राजस्व अभिलेख में क्या है? वादीगण द्वारा वंर्किग खसरा नम्बर 952, 999, 953/6199 व हाल खसरा नम्बर 1452/8992, 1451/7749, 1451/8936 का वाद पेश किया है किन्तु उक्त खसरा नमबर पर भी वादीगण का कक्जा कभी–कभी मात्र अतिकमी की हैसियत से रहा है। खण्डित कब्जे काश्त के आधार पर सिवायचक आराजी पर खातेदारी अधिकार प्रदान नही किये जा सकते है। भूमि का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण नही होने से वादीगण खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी नही है। तनकी विरूद्व वादीगण निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम श्रीनगर के हाल खसरा नम्बर 1452/8992 रकबा 0.17, 1451/7749 रकबा 0.13, 1451/8936 रकबा 0.16 की आराजी पर वादीगण का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.07.03 17:29:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

चतुरभुज बनाम राज0 सरकार

दावा बाबत :— 88, 188 राज. का. अधि0 1955 व 136 भू राज0 अधि0 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर — 109/2013
पेश करने की दिनांक — 19.06.13

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)—व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई अभिभाषक राज0 पैरोकार मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :—

ग्राम श्रीनगर के हाल खसरा नम्बर 1452/8992 रकबा 0.17, 1451/7749 रकबा 0.13, 1451/8936 रकबा 0.16 की आराजी पर वादीगण का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक——— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 14 माह 6 सन् **2024** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.07.03 17:29:52 IST
Reason: SelfAttested